

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 5 ^{दिसम्बर} नवम्बर, 2018

विषय: श्री पुष्कर चन्द पाठक पुत्र श्री रेवाधर पाठक, निवासी सलना, पो० शीतलाखेत, जनपद अल्मोड़ा के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील कपकोटी के ग्राम बैकोड़ी में 2.12 हैक्टेयर में खनिज सोपस्टोन के खनन हेतु स्वीकृत खनन पट्टा के हस्तान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9168/मुख०/01/बागे०/भू०खनि०ई०/2010-11, दिनांक 29 मार्च, 2016 एवं पत्र संख्या-960/मुख०/01/बागे०/भू०खनि०ई०/2010-11, दिनांक 23 जुलाई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5348/77-5/2000-5(50)/94, दिनांक 19.10.2000 द्वारा श्री पी०सी० पाठक, प्रो० सर्वश्री हैडाखान मिनरल्स, ग्राम सलना, पो० शितलाखेत, जनपद अल्मोड़ा के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम बैकोड़ी में 5.25 एकड़ नाप भूमि में 20 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा, जिसका पट्टा विलेख निष्पादन दिनांक 4.11.2000 का किया गया, को पट्टाधारक श्री पी०सी० पाठक प्रो० सर्व श्री हैडाखान मिनरल्स, अल्मोड़ा की सहमति दिनांक 01.12.2015 एवं जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा आपकी संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, यथासंशोधित दिनांक 19.11.2016 के बिन्दु संख्या-4(ख) के प्रावधानानुसार मैसर्स पुंगर वैली सोपस्टोन प्रा०लि० प्रधान कार्यालय 179 गुरुनानकपुरा, हल्द्वानी के पक्ष में अवशेष अवधि हेतु इस शर्त के अधीन हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि मैसर्स पुंगरवैली सोपस्टोन प्रा०लि० द्वारा खनन कार्य का प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त भूस्वामियों की अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।

2. कृपया प्रकरण के संबंध में नियमानुसार अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादन की कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(बृजेश कुमार संत)
अपर सचिव

संख्या: 1354(1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. मैसर्स पुंगरवैली सोपस्टोन प्रा०लि० प्रधान कार्यालय 179 गुरुनानकपुरा, हल्द्वानी।
3. श्री पी०सी० पाठक, प्रो० सर्वश्री हैडाखान मिनरल्स, ग्राम सलना, पो० शितलाखेत, जनपद अल्मोड़ा।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अर्पण कुमार राजू)

अनु सचिव